रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 2001/वैशाख 26, 1923

No. 311] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2001/VAISAKHA 26, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2001

का.आ. 432(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की एक अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ 491(अ), तारीख 24 मई, 2000 द्वारा और एक शुद्धिपत्र, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. 593(अ), तारीख 23 जून, 2000 द्वारा, ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 को अधिसूचित करने के सरकार के आशय की बाबत, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त हुए सभी आक्षेपों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैटरी (प्रबधन और हथालन) नियम, 2001 को अधिसूचित करती है ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बैटरी (प्रबधन और हथालन) नियम 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना - ये नियम प्रत्येक विनिर्माता, आयातकर्ता, मरम्मत करने वाले, समायोजक, व्यवहारी, पुन:चक्रणकर्ता, नीलामकर्ता, उपभोक्ता और बैटरी के विनिर्माण, प्रसंस्करण, क्रय, विक्रय और उपयोग में लगे हुए प्रयुक्त उपभोक्ता को लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है ;

(ख) "समायोजक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विभिन्न घटकों के समायोजन द्वार लेड ऐसिड बैटरियों का विनिर्माण करता है ;

(ग) " नीलामी" से व्यष्टि (व्यष्टियों) कंपनियों या सरकारी विभागों द्वारा निविदा या नीलामी, संविदा या बातचीत के आमंत्रण द्वारा प्रयुक्त बैटरियों का प्रपुंज विक्रय अभिप्रेत है ;

(घ) " नीलामकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रयुक्त बैटरियों या उनके घटकों को नीलाम करता है ;

(ङ) " बैटरी" से ऐसी लेड ऐसिड बैटरी अभिप्रेत है जो विद्युत उर्जा का एक स्रोत है और जिसमें सीसा धातु अंतर्विष्ट है ;

(च) " प्रपुंज उपभोक्ता" से केन्द्रीय या राज्य सरकारें, रेल, रक्षा, दूरसंचारय, डाक तथा तार विभाग, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम, राज्य विद्युत बोर्ड जैसे और ऐसे अन्य उपभोक्ता अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय " दर" के माध्यम से या उनकी अधिकारिता के अधीन आने वाले व्यष्टि विभागों या उपभोक्ता इकाईयों की ओर से प्रमुखतः की गई चालू संविदा के माध्यम से बैटरियों का क्रय करते हैं ;

(छ) " घटको" से किसी लेड ऐसिड बैटरी के ऐसे घटक अभिप्रेत हैं जिनमें सीसा है ;

(ज) " उपभोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लेड ऐसिड बैटरी का उपयोग करता है, जिसमें प्रपुंज उपभोक्ता सम्मिलित नही है ;

(झ) " व्यवहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लेड ऐसिड बैटरियों या उसके घटकों का, विनिर्माताओं, आयातकर्ताओं, समायोजकों और मरम्मत करने वालों या अन्यथा की ओर से उपभोक्ता या अन्य व्यवहारियों या फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करता है और उनसे प्राप्त करता है ;

(ञ) " आयातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विक्रय के प्रयोजन के लिए ~~प्रपुंज मात्रा में~~ नई लेड ऐसिड बैटरियों या उनके लेड युक्त घटकों का आयात करता है ;

(ट) " विनिर्माता" से लेड ऐसिड बैटरियों या उनके घटकों का विनिर्माण करने वाले किसी कारखाने के संबंध में ऐसा व्यक्ति या किसी कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अभिप्रेत है जो लेड ऐसिड बैटरियों या उनके घटकों के विक्रय और संग्रहण के लिए उस कारखाना या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण रखता है ;

(ठ) " मूल उपस्कर विनिर्माता" से उपस्कर या घटक के रूप में लेड ऐसिड बैटरियों में प्रयुक्त उत्पाद का विनिर्माता अभिप्रेत है ;

(ड) " मरम्मतकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो बाजार में उनका विक्रय करने के लिए लेड ऐसिड बैटरियों की मरम्मत करने में लगा है ;

(ढ) " पुनःचक्रणकर्ता" से ऐसा अधिभोगी अभिप्रेत है जो सीसा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई गई लेड ऐसिड बैटरियो या उनके घटकों का प्रसंस्करण करता है ;

(ण) " रजिस्ट्रकृत पुनःचक्रणकर्ता" से ऐसा पुनःचक्रणकर्ता अभिप्रेत है जो उपयोग में लाई गई लेड ऐसिड बैटरियों या उनके घटको के पुनःप्रसंस्करण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय या इसके द्वारा पदाभिहित अभिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत है ;

(त) " राज्य बोर्ड" से, यथास्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है ;

(थ) "उपयोग मे लाई गई बैटरियो" से उपयोग में लाई गई, क्षतिग्रस्त और पुरानी लेड ऐसिड बैटरियां और उनके घटक अभिप्रेत हैं ;

(द) ' पदाभिहित संग्रहण केन्द्र' से ऐसा संग्रहण केन्द्र अभिप्रेत है जो एक या अधिक विनिर्माताओं या आयातकर्ताओं, संयोजकों और मरम्मतकर्ताओं द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 4 और नियम 5 के अधीन उनके दायित्वों के अनुसरण में वैयक्तिक रूप से या संयुक्ततः स्थापित किया गया है ;

(ध) उन शब्दों का, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होगा जैसा उन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तदधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है ।

4. विनिर्माता, आयातकर्ता, समायोजक, और मरम्मतकर्ता के दायित्व - प्रत्येक विनिर्माता, आयातकर्ता, समायोजक और मरम्मतकर्ता की यह दायित्व होगा कि वह -

(i) यह सुनिश्चित करे कि बेची गई नई बैटरियों के, उन बैटरियों को छोड़कर जो मूल उपस्कर विनिर्माता और प्रपुंज उपभोक्ता(ओं) को बेची गई हैं, विरूद्ध अनुसूची के अनुसार उपयोग में लाई गई बैटरियों का पुनःसंग्रहण कर लिया जाता है ;

(ii) यह सुनिश्चित करे कि उपयोग में लाई गई पुनः संगृहीत बैटरियां उसी प्रकार तथा विनिर्देशों की हैं जैसा कि विक्रय की गई नई बैटरियों की प्रकार तथा विनिर्देश ;

(iii) प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर तक प्ररूप 1 में राज्य बोर्ड को अपने विक्रयों तथा पुनःक्रय की एक अर्द्धवार्षिक विवरणी फाइल करें ;

(iv) उपभोक्ताओं/व्यवहारियों से उपयोग में लाई गई बैटरियों के संग्रहण के लिए विभिन्न स्थानो पर वैयक्तिक रूप से या संयुक्ततः संग्रहण केन्द्र स्थापित करें ;

(v) यह सुनिश्चित करे कि संगृहीत उपयोग में लाई गई बेटरियां रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं को ही भेजी जाती है ;

(vi) यह सुनिश्चित करे कि संग्रहण केन्द्रों से रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं के परिसरों तक सुरक्षित परिवहन के लिए व्यवहरियों के साथ आवश्यक व्यवस्था करा ली जाती है ;

(vii) यह सुनिश्चित करे कि परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है ;

(viii) निम्नलिखित के संबंध में विज्ञापनो, प्रकाशनों, पोस्टरों या अन्य साधनों के माध्यम से लोक जागृति पैदा करे ;

(क) सीसे के परिसंकट ;

(ख) उपभोक्ताओं की, उनके उपयोग में लाई गई बैटरियों को केवल व्यवहारियों या पदाभिहित संग्रहण केन्द्रों को ही वापस करने की जिम्मेदारी ;

(ग) व्यवहारियों और पदाभिहित संग्रहण केन्द्रों के पते ;

(ix) बैटरियों पर अंतर्राष्ट्रीय पुनःचक्रण चिन्ह का उपयोग करे ;

(x) केवल रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं से ही पुनःचक्रित सीसा क्रय करे ;

(xi) व्यवहारियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन को राज्य बोर्ड या पर्यावरण और वन मंत्रालय की जानकारी में लाए ।

5. आयातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण - आयातकर्ता प्ररूप 2 मे ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए स्वंय को पर्यावरण और वन मंत्रालय या इसके द्वारा पदाभिहित अभिकरण से रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

6. नई लेड एसिड बैटरियों के आयातों के सीमा शुल्क की निकांसी- आयातों की सीमाशुल्क निकासी निम्नलिखित पर समाश्रित होगी -

(i) भारतीय रिजर्व बैंक से विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण (आयातकर्ता के कोड सं. सहित)

(ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय या इसके द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण से प्ररूप 2 में एक बार रजिस्ट्रीकरण

(iii) प्ररूप 3 में वचनबंध

(iv) प्ररूप 4 में नवीनतम अर्द्धवार्षिक विवरणी की प्रति

7.व्यवहारी की जिम्मेदारियां - व्यवहारी की जिम्मेदारी होगी कि वह -

(i) यह सुनिश्चित करे कि बेची गई नई बैटरियों के विरूद्ध अनुसूची के अनुसार उपयोग मे लाई बैटरियों को पुनः संगृहीत करें ;

(ii) उपभोक्ता द्वारा वापस की गई उपयोग में लाई गई प्रत्येक बैटरी के बदले समुचित बट्टा दे ;

(iii) यह सुनिश्चित करे कि पुनः संगृहीत उपयोग में लाई गई बैटरी उसी प्रकार तथा विनिर्देशों की है जैसी कि विक्रय की गई नई बैटरियों की प्रकार तथा विनिर्देश ;

(iv) प्रतिवर्ष 31 मई और 30 नवम्बर तक प्ररूप 5 में विनिर्माता को, अर्द्धवार्षिक विक्रय और पुनःक्रय की विवरणी फाइल करें;

(v) अभिहित संग्रहण केन्द्रों या रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं तथा संगृहित बैटरियों का संरक्षण परिवहन सुनिश्चित करे ;

(vi) यह सुनिश्चित करे कि संगृहित बैटरियों के भंडारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति कारित नहीं होती है ;

8 पुनःचक्रणकर्ताओं के दायित्व - प्रत्येक पुनःचक्रणकर्ता -

(i) पर्यावरण और वन मंत्रालय को या उसके द्वारा अभिहित अभिकरण को, यदि पहले से आवेदन नहीं किया है, तो प्ररूप 6 में जानकारी पेश करके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ;

(ii) रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तों का कठोरत अनुपालन सुनिश्चित करेगा, तथापि, ऐसे व्यक्ति जो प्रयोग की गई बैटरियों के पुन प्रसंस्करण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसके द्वारा अभिहित अभिकरण के यहां रजिस्ट्रीकृत है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तों द्वारा आबद्ध होगे ;

(iii) राज्य बोर्ड को प्ररूप 7 के अनुसार वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

(iv) राज्य बोर्ड को निरीक्षण के लिए सभी अभिलेख उपलब्ध कराएगा ;

(v) पुन:प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त किए गए सीसे पर ' पुन:चक्रित' चिन्हित करेगा ; और

(vi) विज्ञापन, प्रकाशन, पोस्टर या अन्य के माध्यम से निम्नलिखित की बाबत सार्वजनिक जानकारी पैदा करेगा -

(क) सीसे की परिसंकटमयता ; और

(ख) केवल रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को ही प्रयोग की गई बैटरियो को लौटाने की या पदाभिहित संग्रहण केन्द्रो मे प्रदत्त करने की उपभोक्ताओं की बाध्यता ।

9 पुनःचक्रणकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया.- (1) उपयोग की गई लेड एसिड बैटरियो का प्रत्येक पुनःचक्रणकर्ता, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्ररूप 6 में संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी या उसके द्वारा अभिहित किसी अभिकरण को, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा ;

(क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, यथासंशोधित और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अधीन विधिमान्य सम्मति की एक प्रति ;

(ख) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्थालन) नियम, 1989 यथासंशोधित के अधीन विधिमान्य प्राधिकार की एक प्रति ;

(ग) जिला उद्योग केन्द्र के यहां रजिस्ट्रीकरण के विधिमान्य प्रमाणपत्र की एक प्रति ; और

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी की गई संस्थापित क्षमता के सबूत की एक प्रति ।

(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संयुक्त सचिव या मत्रालय द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी या इसके द्वारा पदाभिहित कोई अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पुन चक्रणकर्ता के पास उपयोग मे लाई गई बैटरियों का पुन:चक्रण करने और जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का व्ययन करने के लिए समुचित प्रसुविधाएं, तकनीकी क्षमताएं और उपस्कर है।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संयुक्त सचिव या मंत्रालय द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी या इसके द्वारा पदाभिहित कोई अभिकरण रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर, आवेदन की, संपूर्ण ब्यौरों के साथ प्राप्ति के 120 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा ।

(4) इस नियम के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण, जब तक कि उसे पहले निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, जारी करने या नवीकरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, उसके अवसान से कम से कम छह मास पूर्व प्ररूप 6 में किया जाएगा ।

(6) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संयुक्त सचिव या मत्रालय द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी या इसके द्वारा पदाभिहित कोई अभिकरण, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से इंकार कर सकेगा ।

(7) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संयुक्त सचिव या मंत्रालय द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी या इसके द्वारा पदाभिहित कोई अभिकरण, यदि उसकी राय में, रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ता, रजिस्ट्रीकरण की किसी शर्त का या अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है तो वह उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगा ।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते समय विहित की गई शर्तों के अनुपालन को मानीटर करना राज्य बोर्डों का उत्तरदायित्व होगा ; और

(9) पर्यावरण और वन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या मंत्रालय द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी या उसके द्वारा अभिहित किसी अभिकरण द्वारा कारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण या इंकार किए जाने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील होगी । अपील लिखित रूप में होगी और उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी एक प्रति लगाई जाएगी और वह आदेश पारित किए जाने के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

10. उपभोक्ता या प्रपुंज उपभोक्ता के दायित्व-(1) यह सुनिश्चित करना उपभोक्ता का दायित्व होगा कि उपयोग की गई बैटरियां, व्यवहारी, विनिर्माता, आयातकर्ता, संयोजक, रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ता या मरम्मत करने वाले या पदाभिहित संग्रहण केन्द्र में निक्षेपित से भिन्न किसी रीति में व्ययनित नहीं की जाती हैं ।

(2) प्रपुज उपभोक्ता का यह दायित्व होगा कि वह,--

(i) यह सुनिश्चित करे कि उपयोग की गई बैटरिया, व्यवहारी/विनिर्माता/रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ता/आयातकर्ता/मरम्मत करने वाले या पदाभिहित संग्रहण केन्द्र मे निक्षेपित किए जाने से भिन्न किसी अन्य रीति मे व्ययनित नहीं की जाती है ; और

(ii) राज्य बोर्ड को प्ररूप 8 में अर्द्धवार्षिक विवरणी फाइल करेगा ।

(3) प्रपुज उपभोक्ता या उनकी उपयोगकर्ता इकाईयां, उपयोग की गई बैटरियों की केवल रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं को ही नीलामी कर सकेंगे ; और

11. नीलामीकर्ता के दायित्व--नीलामीकर्ता-

(i) यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोग की गई बैटरियां केवल रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं को ही नीलाम की जाती हैं ;

(ii) राज्य बोर्डों को उनकी नीलामी की अर्द्धवार्षिक विवरणियां प्ररूप 9 मे फाइल करेगा ; और

(iii) ऐसी नीलामियो का अभिलेख रखेगा और यह अभिलेख निरीक्षण के लिए राज्य बोर्ड को उपलब्ध कराएगा ।

12. विहित प्राधिकारी--इन नियमो के उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विहित प्राधिकारी राज्य बोर्ड होगा और वह प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक वार्षिक अनुपालन प्रास्थिति की रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगा ।

13.केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्त्तव्य--केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य बोर्डों से प्रतिवर्ष वार्षिक आंकडों को एकत्रित करेगा और उन्हें प्रकाशित करेगा । वह उपयोग की गई लेड बैटरियो के संग्रहण और पुनःचक्रण में सुधार लाने के लिए आवधिक रूप से नियमो के अनुपालन का पुनर्विलोकन करेगा और पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित करेगा ।

14. अभिलेखों और विवरणियों का कंप्यूटरीकरण--पर्यावरण और वन मंत्रालय या उसके द्वारा पदाभिहित कोई अभिकरण निम्नलिखित के कंप्यूट्रीकृत अभिज्ञान के लिए एक प्रणाली का विकास करेगा--

(i) बैटरियो के वितरण और विक्रय ;

(ii) उपयोग की गई बैटरियों के संग्रहण, उनकी नीलामी, परिवहन और पुनः प्रसंस्करण ;

(iii) रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं द्वारा पुनःप्रसंस्कृत सीसे का विक्रय ; और

(iv) सभी देशी उत्पादकों/आयातकर्ताओं से सीसे का विक्रय ।

अनुसूची

[नियम 4 (i) और 7 (i) देखिए]

क्रम सं.	वर्ष	वापस एकत्र की जाने वाली बैटरियों की संख्या
(i)	नियम क्रियान्वित करने के प्रथम वर्ष के दौरान	विक्रय की गई नई बैटरियों का 50 प्रतिशत
(ii)	नियम क्रियान्वित करने के दूसरे वर्ष के दौरान	विक्रय की गई नई बैटरियों का 75 प्रतिशत
(iii)	क्रियान्वयन के दूसरे वर्ष के पश्चात्	विक्रय की गई नई बैटरियों का 90 प्रतिशत

प्ररूप 1

[नियम 4 (iii) देखिए]

नई बैटरियों के विक्रय और उपयोगी हुई बैटरियों की विवरणियां फाइल करने के लिए प्ररूप

[विनिर्माता/संयोजक/मरम्मत करने वालों द्वारा प्रत्येक वर्ष तारीख 30 जून (अक्तूबर-मार्च अवधि के लिए) और तारीख 31 दिसम्बर (अप्रैल-सितम्बर अवधि के लिए) तक प्रस्तुत किया जाए]

1. विनिर्माता/संयोजक/मुरम्मत करने वाले का नाम और पता
2. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और टेलिफोन और फैक्स नम्बरों के साथ पूर्ण पता
3. निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में अक्तूबर-मार्च/अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान विक्रय की गई नई बैटरियों की कुल संख्या

 श्रेणी

 (i) आटोमोटिव — (i) बैटरियों की सं. — (ii) लगभग भार (मीटरी टन में)

 (क) चार पहिया

 (ख) दो पहिया

 (ii) औद्योगिक

 (क) यू पी एस

 (ख) मोटिव शक्ति

 (ग) आपाती

 (iii) अन्य (इनवर्टर, आदि)

निम्नलिखित को विक्रय की गई बैटरियों की संख्या

(i) व्यवहारी

(ii) प्रपुंज उपभोक्ता

(iii) ओ ई एम

(iv) प्रतिस्थापन के लिए किसी अन्य पक्ष का पृथक् रूप से वर्णन करें

4. पदाभिहित संग्रहण केन्द्रों का नाम और पूरा पता
5. क्रम. सं. 3 में यथादर्शित संगृहीत और रजिस्ट्रीकृत मुरम्मत करने वालों को भेजी गई विभिन्न श्रेणियों की उपयोग की गई बैटरियां*

 *मरम्मत करने वालों की सूची, जिन्हें बैटरियां मुरम्मत के लिए भेजी गई हैं।

स्थान :

तारीख : प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप 2

[नियम 5 और 6 (ii) देखिए]

नई लैड एसिड बैटरियों/प्राइमरी लैड के आयातकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

(पर्यावरण और वन मंत्रालय को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें)

1. आयातकर्ता का नाम और पता
2. आयात/निर्यात अनुज्ञप्ति सं.
3. यथास्थिति, व्यक्ति/स्वामी/अधिभोगी का नाम

स्थान :

तारीख : आयातकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप 3

[नियम 6 (iii) देखिए]

(नई लैड एसिड बैटरियों के आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

वचनबंध

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड

1. मैं ———————————— जो मैसर्स ———————————— से संबद्ध हूं, यह निवेदन करता हूं कि मैं ———————————— नई लैड एसिड बैटरियों के एम टी के आयात की प्रक्रिया में संलग्न हूं।
2. मैं वचनबंध करता हूं कि मैं, सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई अनुसूची के अनुसार, आयात की गई और बेची गई बैटरियों के स्थान पर उपयोग की गई बैटरियों को संगृहीत करूंगा और उन्हें केवल रजिस्ट्रीकृत मरम्मत करने वालों को भेजूंगा। मैं यह और वचनबंध करता हूं कि मैं राज्य बोर्ड को नियम 6 की मद (iii) के अनुसार अर्द्धवार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करूंगा और उनके द्वारा दिए गए निदेशों का, यदि कोई हों, पालन करूंगा।

स्थान :

तारीख : आयातकर्ता के हस्ताक्षर

प्रति : संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी को।

प्ररूप 4

[नियम 6 (iv) देखिए]

नई लैड एसिड बैटरियों के विक्रय की विवरणियां फाइल करने के लिए प्ररूप [लैड एसिड बैटरियों के आयातकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष तारीख 30 जून (अक्तूबर-मार्च अवधि के लिए) और तारीख 31 दिसम्बर (अप्रैल-सितम्बर अवधि के लिए) तक प्रस्तुत किए जाएं]

1. आयातकर्ता का नाम और पता
2. प्राधिकृत व्यक्ति का टेलिफोन और फैक्स नम्बर के साथ नाम और पता
3. अक्तूबर से मार्च और अप्रैल से सितम्बर की अवधि के दौरान आयात की गई बैटरियों की संख्या
4. निम्नलिखित श्रेणियों की बाबत
 अक्तूबर-मार्च/अप्रैल-सितम्बर की अवधि
 के दौरान विक्रय की गई नई बैटरियों की संख्या (i) बैटरियों की संख्या (ii) लगभग भार (मीटरी टन में)

 श्रेणी

(i) आटोमोटिव

(क) चार पहिया

(ख) दो पहिया

(ii) औद्योगिक

(क) यू पी एस

(ख) मोटिव शक्ति

(ग) अन्य

बैटरियों की संख्या जो निम्नलिखित को विक्रय की गई—

(i) व्यवहारी

(ii) प्रपुंज उपभोक्ता

(iii) ओ ई एम

(iv) प्रतिस्थापन के लिए कोई अन्य पक्ष

5. पदाभिहित संग्रहण केन्द्रों का नाम और पूरा पता

6. क्रम. सं. 4 पर यथा दर्शित संगृहीत की गई और रजिस्ट्रीकृत मरम्मत करने वालों को भेजी गई विभिन्न श्रेणियों की उपयोग की गई बैटरियों की कुल संख्या*

*पूर्ण सूची संलग्न करें

स्थान :

तारीख : प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप-5

[नियम 7 (iv) देखिए]

नई बैटरियों के विक्रय और पुरानी बैटरियों के संग्रहण की विवरणियां फाइल करने के लिए प्ररूप

[व्यवहारियों द्वारा विनिर्माताओं को प्रतिवर्ष तारीख 31 मई (अक्तूबर-मार्च के दौरान विक्रय के लिए) और तारीख 30 नवम्बर (अप्रैल सितंम्बर के दौरान विक्रय के लिए) तक प्रस्तुत किया जाए]

1. व्यवहारी का नाम और पता

2. प्राधिकृत व्यक्ति का टेलिफोन और फैक्स नंबर के साथ नाम और पूरा पता

3. निम्नलिखित श्रेणियों की बाबत अक्तूबर-मार्च/अप्रैल-सितंबर की अवधि के दौरान विक्रय की गई नई बैटरियों की संख्या :—

श्रेणी	(i) बैटरियों की संख्या	(ii) लगभग भार (मीटरी टनों में)
(i) आटोमोटिव		
(क) चार पहिया		
(ख) दो पहिया		
(ii) औद्योगिक		
(क) यू पी एस		
(ख) मोटिव शक्ति		
(ग) आपाती		

विक्रय की गई बैटरियों की संख्या

(i) उपयोग की गई बैटरियों के प्रतिस्थापन के रूप में

(ii) प्रमुख उपभोक्ताओं को

(iii) ओ ई एम को

(iv) किसी अन्य पक्ष को

4. क्रम से. 3 पर यथा दर्शित संगृहीत की गई और मरम्मत करने वाले* पदाविहित संग्रहण केन्द्रों/विनिर्माताओं को भेजी गई विभिन्न श्रेणियों की उपयोग की बैटरियों की कुल संख्या

*मरम्तम करने वाले की सूची, जिन्हें मरम्मत के लिए बैटरियों भेजी गई है, संलग्न करें।

स्थान

तारीख

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप-6

[नियम 8 (i), 9 (1) और 9(5) देखिए]

प्रयुक्त लेड एसिड बैटरियों के पुन:चक्रण के लिए पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ प्रबंधन पद्धति रखने वाली प्रसुविधाओं के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के लिए प्ररूप

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें)

1. इकाई का नाम और पता
2. संपर्क व्यक्ति का पदनाम दूरभाष, फैक्स सं. सहित
3. संस्थापन की तारीख
4. कर्मकारों की संख्या (जिसमें ठेका श्रमिक भी सम्मिलित है।)
5. सहमति की विधि मान्यता
 (क) वायु अधिनियम, 1981 तक विधिमान्य
 (ख) जल अधिनियम, 1974 तक विधिमान्य
6. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के नियम 5 के अधीन प्राधिकार की विधिमान्यता तक विधिमान्य
7. उत्पादन की संस्थापित क्षमता (एम टी ए)
8. विनिर्मित उत्पाद (टन/वर्ष) विगत तीन वर्षों के दौरान — वर्ष-1 वर्ष-2 वर्ष-3
 नाम : (क)
 (ख)
 (ग)
9. उपभोग की गई कच्ची सामग्री (टन/वर्ष) — वर्ष-1 वर्ष-2 वर्ष-3
 नाम : (क)
 (ख)
 (ग)
10. विनिर्माण प्रक्रिया — कृपया प्रत्येक उत्पाद के लिए विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह आरेख संलग्न करें।
11. जल का उपभोग — औद्योगिक— एम^3/दिन
 घरेलू— एम^3/दिन

12. जल उपकर तक संदत्त

13. अपशिष्ट जल जनन — औद्योगिक/घरेलू

(क) सहमति के अनुसार एम^3/दिन

(ख) वास्तविक एम^3/दिन (गत तीन मासों का औसत)

14. अपशिष्ट जल उपचार (कृपया उपचार स्कीम का प्रवाह आरेख उपलब्ध करायें) — औद्योगिक
घरेलू

15. अपशिष्ट जल निस्सारण — परिमाण एम^3/दिन—
अवस्थिति—

उपचारित अपशिष्ट जल का विश्लेषण

पीएच. बीओडी, सीओडी, एसएस, ओएंडजी, अन्य कोई (लागू तत्स्थानी मान उपदर्शित करें)

16. वायु प्रदूषण नियंत्रण

क. कृपया प्रत्येक प्रक्रिया, प्रसुविधाओं आदि के लिए संस्थापित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली (प्रणालियों) के लिए प्रवाह आरेख उपलब्ध करायें।

ख. उपलब्ध कराई गई प्रसुविधाओं और सामग्री के हथालन, प्रक्रिया प्रसुविधाओं आदि के कारण प्रपलायी उत्सर्जन के नियंत्रण के ब्यौरे

ग. ईंधन उपभोग

घ. लागू मानों के मुकाबले में स्टैक उत्सर्जन मानिटरिंग परिणाम — क्र.सं. ईंधन का नाम — मात्रा/दिन

क्र.सं. संलग्न स्टैक — उत्सर्जन नी/एनएम^3

ङ परिवेशी वायु क्वालिटी — क्र.सं. अवस्थिति — परिणम यू जी/एम^3

17. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन — क्र.सं. अपशिष्ट का नाम — प्रक्रिया प्रवर्ग — मात्रा/वाई

(क) अपशिष्ट जनन

(ख) संग्रहण, उपचार के ब्यौरे

(ग) निपटान (जिसमें अंतिम विसर्जन बिन्दु भी है)

(i) कृपया निपटान प्रसुविधा के ब्यौरे दें

(ii) क्या प्रदान की गई प्रसुविधाएं प्राधिकार में एस पी सी बी द्वारा जारी की गई शर्तों के अनुपालन में हैं

(iii) कृपया जनित परिसंकटमय अपशिष्ट (जिसमें निष्कर्षण परीक्षण यदि लागू हो भी है) के लक्षणवर्णन की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें

18. कच्ची सामग्री के रूप में उपभोग करने के लिए, यथास्थिति, नीलामी या आयात में लिए जाने वाले प्रस्तावित अपशिष्ट के ब्यौरे

1. नाम—
2. अपेक्षित मात्रा—
3. बेसल कन्वेशन (बीसी) के अनुसार अनुसूची क/अनुसूची ख में स्थिति
4. बीसी के उपाबंध के अनुसार प्रकृति

19. व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू — प्रदान की गई प्रसुविधाओं के ब्यौरे

20. टिप्पणियां

(i) क्या उद्योग ने उत्सर्जन/बहि:स्राव के मानों को पूरा करने — हां/नहीं

IndiaCode

के लिए पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली/उपस्कर प्रदान किया है या नहीं	यदि हां तो, कृपया ब्यौरे दें
(ii) क्या उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकार में अधिकथित शर्तों का अनुपालन करता है या नहीं	हां/नहीं
(iii) क्या परिसंकटमय अपशिष्ट संग्रहण और उपचार भंडार और निपटान प्रसुविधा समाधानप्रद रूप से कार्य कर रही है या नहीं	हां/नहीं
(iv) क्या हथलाई/प्रसंस्कृत की जा रही सामग्री जिससे पर्यावरण पर तत्काल या विलंबित प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां विद्यमान है या विद्यमान होने की संभावना है या नहीं	हां/नहीं
(v) क्या किसी माध्यम मे जो अन्य सामग्री उदाहरणार्थ निष्कर्षण जिसमें परिस्थितिकीय विषाक्तता हो, को प्राप्त करने में समर्थ है द्वारा हथलाई/प्रसंस्कृत की जा रही सामग्री की परिस्थितियां विद्यमान है या विद्यमान होने की संभावना है	हां/नहीं

21. (i) इकाई की लागत

(ii) प्रदूषण नियंत्रक उपस्कर जिसमें पर्यावरणीय सुरक्षोपाय भी हैं, की लागत

(क) पूंजी

(ख) आवर्ती

22. कोई अन्य जानकारी

(i)

(ii)

(iii)

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण/जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

तारीख :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रस्प-7

[नियम 8 (iii) देखिए]

उपयोग की गई बैटरियों के पुन: चक्रणकर्ता द्वारा विवरणियां फाइल करने के लिए प्रस्प

(प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर तक पुन: चक्रणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

1.	पुन: चक्रणकर्त्ता का नाम और पता
2.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और टेलीफोन तथा फैक्स सं. सहित पूरा पता
3.	उपयोग किए गए बैटरी स्क्रैप के पुन: चक्रण करने के लिए संस्थापित वार्षिक क्षमता (एम टी ए में)

IndiaCode

4.	अक्तूबर से मार्च तक/अप्रैल से सितम्बर तक की अवधि के दौरान क्रय की गई या प्रसंस्करण के लिए भेजी गई, उपयोग की गई बैटरी स्क्रैप की कुल मात्रा	(i) विनिर्माताओं द्वारा भेजी गई विनिर्माताओं से क्रय की गई उपयोग की गई बैटरियों की मात्रा— (ii) व्यवहारियों से क्रय की गई, उपयोग की गई बैटरियों की मात्रा— (iii) नीलामीकर्ताओं से क्रय की गई, उपयोग की गई बैटरियों की की मात्रा— (iv) किसी अन्य स्रोत से अभिप्राप्त, उपयोग की गई बैटरियों की मात्रा—
5.	उपयोग किए गए बैटरी स्क्रैप से प्राप्त सीसे की मात्रा (एम टी ए में)	
6.	भेजी गई पुनः चक्रणित सीसा की मात्रा	(i) बैटरियों के विनिर्माताओं को (ii) अन्य अभिकरणों को*

* अन्य अभिकरणों की सूची संलग्न करें।

स्थान ————————

तारीख ————————

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप-8

[नियम 8(2) (ii) देखिए]

बैटरियों के प्रपुंज उपभोक्ताओं के लिए विवरिणयां फाइल करने के लिए प्ररूप (प्रत्येक वर्ष 30 जून) अक्तूबर-मार्च की अवधि के लिए और 31 दिसम्बर (अप्रैल-सितम्बर की अवधि के लिए) तक राज्य बोर्ड को प्रपुंज उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाए)।

1. प्रपुंज उपभोक्ता का नाम और पता

2. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और टेलीफोन और फैक्स संख्यांक सहित पूरा पता

3. अक्तूबर-मार्च और अप्रैल-सितम्बर के दौरान विनिर्माता/आयातकर्ता/व्यवहारी या किसी अन्य अभिकरण से क्रय की गई विभिन्न प्रवर्गों की नई बैटरियों की संख्या

प्रवर्ग	(i) बैटरियों की संख्या	(ii) अनुमानित भार (मीट्रिक टन में)
(i) आटोमेटिव		
(क) चौपहिया		
(ख) दुपहिया		
(ii) औद्योगिक		
(क) यू पी एस		
(ख) प्रेरक शक्ति		
(ग) आपाती		
(iii) अन्य		

4.	क्रम सं. 3 में उल्लिखित प्रवर्गों की उपयोग की गई बैटरियों की सं. तथा उस विनिर्माता/व्यवहारी/ निर्यातकर्ता/रजिस्ट्रीकृत पुन: चक्रणकर्ता या किसी अन्य अभिकरण, जिसको उपयोग की गई बैटरियां भेजी गई थीं, को भेजा गया स्क्रैप का टन भार	

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर*

* ऐसे विनिर्माता/व्यवहारी/आयातकर्ता/रजिस्ट्रीकृत पुन: चक्रणकर्ता/या कोई अन्य अभिकरण, जिसको उपयोग की गई बैटरियों का स्क्रैप भेजा गया था, की सूची संलग्न करें।

प्रारूप-9

[नियम 11 (ii) देखिए]

उपयोग की गई बैटरियों के नीलामकर्ताओं द्वारा विवरणियां फाइल करने के लिए प्ररूप।

(प्रत्येक वर्ष 30 जून, और 31 दिसम्बर तक राज्य बोर्ड को नीलामकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएं)

1.	नीलामकर्ता का नाम और पता
2.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और टेलीफोन और फैक्स सं. सहित पूरा पता
3.	अक्तूबर से मार्च और अप्रैल से सितम्बर तक की अवधि के दौरान उपयोग की गई बैटरियों की संख्या और कुल टनभार (एम टी का)
4.	उपयोग किए गए बैटरी स्क्रैप के स्रोत
5.	अक्तूबर से मार्च और अप्रैल से सितम्बर तक की अवधि के दौरान नीलाम, उपयोग की गई, बैटरियों की संख्या और कुल टन भार (एम टी का)
6.	रजिस्ट्रीकृत पुन: चक्रणकर्ताओं* को भेजी गई, उपयोग की गई बैटरियों की संख्या और कुल टन भार (एम टी का)

*सूची संलग्न करें।

स्थान :

तारीख :

[फा. सं. 23-5/98-एच एस एम डी]

डा. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2001

S.O. 432(E).— Whereas a notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II-section 3, sub-section (ii) vide No. S.O. 491 (E) dated 24th May, 2000 and corrigendum published in the Gazette of India Extraordinary Part-II section 3, sub-section (ii) vide No. SO 593 (E) dated 23rd June, 2000 under powers conferred by sections 6,8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), inviting objections from persons likely to be affected, within a period of sixty days from the date of publication of the said notification with regard to the Government's intention to notify the Battery (Management and Handling) Rules, 2000.

And, whereas all objections received have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby notifies the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.

1. Short Title and Commencement. - (1) These rules may be called the **Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to every manufacturer, importer, re-conditioner, assembler, dealer, recycler, auctioneer, consumer and bulk consumer involved in manufacture, processing, sale, purchase and use of batteries or components thereof.

3. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Act' -means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) 'assembler'-means a person who manufactures lead acid batteries by assembling various components;

(c) 'auction' - means bulk sale of used lead acid batteries or component (s) thereof by invitation of tenders or auction, contract or negotiation by individual(s), companies or Government Departments ;

(d) 'auctioneer'- means a person (s) who auctions used lead acid batteries or components thereof;

(e) 'battery'- means lead acid battery which is a source of electrical energy and contains lead metal;

***(f)* 'bulk consumer'** – means a consumer such as Central or State Government Departments of Railways, Defence, Telecom, Posts & Telegraph, State Road Transport Undertakings, State Electricity Boards and others who purchase batteries through central 'rate' or running contract centrally placed on behalf of individual departments or user units under their jurisdiction.

(g)' components' means lead bearing components of a lead acid battery;

(h)'consumer'- means a person using lead acid batteries excluding bulk consumers;

(i)'dealer'- means a person who sells and receives lead acid batteries or components thereof to and from the consumers or other dealers or retailers on behalf of the manufacturers, importers, assemblers and reconditioners or otherwise;

(j)'designated collection centre'- means a collection centre established, individually or jointly by one or more manufacturers or importers, assemblers and re-conditioners in pursuance of their responsibilities under rule 4 of these rules.

(k)'importer' –means a person who imports new lead acid batteries or components containing lead thereof for the purpose of sale;

(l)'manufacturer'- in relation to any factory manufacturing lead acid batteries or components thereof means a person or Chief Executive Officer (CEO) of the company who has control over the affairs of the factory or the premises for sale and collection of lead acid batteries or components thereof;

(m)'original equipment manufacturer' - means manufacturer of equipment or product using lead acid batteries as a component;

(n)'reconditioner' -means a person involved in repairing of lead acid batteries for selling the same in the market;

(o)'recycler'-means an occupier who processes used lead acid batteries or components thereof for recovering lead ;

(p)'registered recycler'- means a recycler registered with the Ministry of Environment and Forests or an agency designated by it for reprocessing used lead acid batteries or components thereof;

(q)'State Board'- means the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee as the case may be ;

(r)'used batteries'-means used, damaged and old lead acid batteries or components thereof; and

(s) the words not defined in these rules will have the same meaning as defined in the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules framed thereunder.

4. Responsibilities of manufacturer, importer, assembler and re-conditioner.- It shall be the responsibility of a manufacturer, importer, assembler and re-conditioner to-

(i) ensure that the used batteries are collected back as per the Schedule against new batteries sold excluding those sold to original equipment manufacturer and bulk consumer(s);

(ii) ensure that used batteries collected back are of similar type and specifications as that of the new batteries sold;

(iii) file a half-yearly return of their sales and buy-back to the State Board in Form- I latest by 30th June and 31st December of every year;

(iv) set up collection centres either individually or jointly at various places for collection of used batteries from consumers or dealers;

(v) ensure that used batteries collected are sent only to the registered recyclers;

(vi) ensure that necessary arrangements are made with dealers for safe transportation from collection centres to the premises of registered recyclers ;

(vii) ensure that no damage to the environment occurs during transportation;

(viii) create public awareness through advertisements, publications, posters or by other means with regard to the following –

(a) hazards of lead;
(b) responsibility of consumers to return their used batteries only to the dealers or deliver at designated collection centres; and
(c) addresses of dealers and designated collection centres.

(ix) use the international recycling sign on the Batteries;

(x) buy recycled lead only from registered recyclers; and

(xi) bring to the notice of the State Board or the Ministry of Environment and Forests any violation by the dealers.

5. Registration of Importers. - The importer shall get himself registered with the Ministry of Environment and Forests or an agency designated by it by submitting details in Form-II.

6. Customs clearance of imports of new lead acid batteries. – Customs clearance of imports shall be contingent upon -

(i)valid registration with the Reserve Bank of India (with Importer's Code Number);
(ii)one time registration with the Ministry of Environment and Forests or an agency designated by it in Form-II;
(iii)undertaking in Form-III; and
(iv)a copy of the latest half-yearly return in Form-IV

7. **Responsibilities of dealer.** - It shall be the responsibility of a dealer to-

(i) ensure that the used batteries are collected back as per the Schedule against new batteries sold;
(ii) give appropriate discount for every used battery returned by the consumer;

(iii) ensure that used batteries collected back are of similar type and specifications as that of the new batteries sold;

(iv) file half-yearly returns of the sale of new batteries and buy-back of old batteries to the manufacturer in Form- V by 31st May and 30th November of every year;

(v) ensure safe transportation of collected batteries to the designated collection centres or to the registered recyclers ; and

(vi) ensure that no damage is caused to the environment during storage and transportation of used batteries.

8. Responsibilities of recycler. - Each recycler shall -

(i) apply for registration to the Ministry of Environment and Forests or an agency designated by it if not applied already, by submitting information in Form VI;

(ii) ensure strict compliance of the terms and conditions of registration; however, those already registered with the Ministry of Environment and Forests or an agency designated by it for reprocessing used batteries would be bound by the terms and conditions of such registration;

(iii) submit annual returns as per Form VII to the State Board;

(iv) make available all records to the State Board for inspection;

(v) mark 'Recycled' on lead recovered by reprocessing; and

(vi) create public awareness through advertisements, publications, posters or others with regard to the following -

(a) hazards of lead; and
(b) obligation of consumers to return used batteries only to the registered dealers or deliver at the designated collection centres.

9. Procedure for registration / renewal of registration of recyclers. - 1) Every recycler of used lead acid batteries shall make an application in Form VI along with the following documents to the Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests or any officer designated by the Ministry or an agency designated by it for grant of registration or renewal;

(a) a copy of the valid consents under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended;
(b) a copy of the valid authorisation under Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989 as amended;
(c) a copy of valid certificate of registration with District Industries Centre ; and
(d) a copy of the proof of installed capacity issued by either State Pollution Control Board /District Industries Centre

(2) The Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests or any officer designated by the Ministry or an agency designated by it shall ensure that the recyclers possess appropriate facilities, technical capabilities, and equipment to recycle used batteries and dispose of hazardous waste generated;

(3)The Joint Secretary , Ministry of Environment and Forests or any officer designated by the Ministry or an agency designated by it shall take decision on application for registration within 120 days of receipt of application form with complete details;

(4)The registration granted under this rule shall be in force for a period of two years from the date of issue or from the date of renewal unless suspended or cancelled earlier;

(5)An application for the renewal of registration shall be made in Form VI atleast six months before its expiry. The Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests or any officer designated by the Ministry or an agency designated by it shall renew the registration of the recycler granted under sub rule(4) of this rule, after examining each case on merit;

(6)The Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests or any officer designated by the Ministry or an agency designated by it may, after giving reasonable opportunity to the applicant of being heard, refuse to grant registration;

(7)The Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests or any officer designated by the Ministry or an agency designated by it may cancel or suspend a registration issued under these rules, if in his / her opinion, the registered recycler has failed to comply with any of the conditions of registration, or with any provisions of the Act or rules made thereunder after giving him an opportunity to explain and after recording the reasons therefor;

(8)It shall be the responsibility of the State Boards to monitor the compliance of conditions prescribed while according registration; and

(9)An appeal shall lie against any order of suspension or cancellation or refusal of registration passed by the Joint Secretary to the Ministry of Environment and Forests or any officer designated by the Ministry or an agency designated by it. The appeal shall be in writing and shall be accompanied with a copy of the order appealed against and shall be presented within 30 days of passing of the order.

10. **Responsibilities of consumer or bulk consumer.**- (1) It shall be the responsibility of the consumer to ensure that used batteries are not disposed of in any manner other than depositing with the dealer, manufacturer, importer, assembler, registered recylcer, reconditioner or at the designated collection centres.

(2) It shall be the responsibility of the bulk consumer to-

(i)ensure that used batteries are not disposed of in any manner other than by depositing with the dealer/manufacturer/registered recycler/importer/ reconditioner or at the designated collection centres; and

(ii) file half-yearly return in Form VIII to the State Board .

(3) Bulk consumers or their user units may auction used batteries to registered recyclers only.

11. Responsibilities of auctioneer.- The auctioneer shall -

(i) ensure that used batteries are auctioned to the registered recyclers only,

(ii) file half-yearly returns of their auctions to the State Boards in Form-IX; and

(iii) maintain a record of such auctions and make these records available to the State Board for inspection.

12. Prescribed Authority. - The prescribed authority for ensuring compliance of the provisions of these rules shall be the State Board. And, it shall file an annual compliance status report to the Central Pollution Control Board by 30th April of every year.

13. Duties of Central Pollution Control Board. - The Central Pollution Control Board shall compile and publish the data received every year from the State Boards. It shall review the compliance of the rules periodically to improve the colleciton and recycling of used lead batteries and apprise the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

14. Computerisation of Records and Returns. – Ministry of Environment and Forests or an agency designated by it shall develop a system for computerised tracking of -

(i) distribution and sale of batteries;
(ii) collection, auction, transport and re-processing of used batteries;
(iii) sale of re-processed lead by registered recyclers, and
(iv) sale of lead from all domestic producers or importers

SCHEDULE

[See rule 4(i) and 7(i)]

S.No.	Year	Number of used batteries to be collected back
(i)	During first year of implementation of rules	50% of new batteries sold
(ii)	During second year of implementation of rules	75% of new batteries sold
(iii)	After second year of implementation of rules	90% of new batteries sold

FORM –I

[see rule 4(iii)]

FORM FOR FILING RETURNS OF SALE OF NEW BATTERIES AND COLLECTION OF USED BATTERIES

[To be submitted by manufacturer/assembler/ reconditioner by 30th June (for the period October-March) and 31st December (for the period April-September) every year]

1.	Name and address of the manufacturer/ assembler/ reconditioner	
2.	Name of the authorised person and complete address with telephone and fax numbers	
3.	Total number of new batteries sold during the period October-March/ April-September in respect of the following categories Category (i)Automative (a)four wheeler (b)two wheeler (ii)Industrial (a)UPS (b)Motive power (c) Stand-by (iii) others (inverters, etc.) Number of batteries sold to (i) dealers (ii) bulk consumers (ii) OEM (iv) Any other party for replacement should be indicated separately	(i)No. of Batteries (ii) Approximate weight (in Metric Tonnes)
4.	Name and full address of the designated collection centres	
5.	Total number of used batteries of different categories as at Sl. No.3 collected and sent to the registered recyclers *	

IndiaCode

* enclose the list of recyclers to whom batteries have been sent for recyling.

Place----------

Date-------

Signature of the authorised person

FORM – II
[see rule 5 & 6 (ii)]

FORM FOR
REGISTRATION OF IMPORTER OF NEW LEAD ACID BATTERIES/ PRIMARY LEAD
{To be submitted in triplicate to the Ministry of Environment and Forests}

1.	Name and address of the importer	
2.	Import/ Export Licence No.	
3.	Name of person / owner / occupier as the case may be	

Date----------
Place---------

Signature of the Importer

FORM III
[see rule 6 (iii)]
(to be submitted by importer of new lead acid batteries)

UNDERTAKING

To

The Member Secretary
State Pollution Control Board

1. I----------of M/S ----------hereby submit that I am in the process of importing ----------(MT) of new lead acid batteries.

2. I undertake that I shall collect back the used batteries as per the schedule prescribed by the Government from time to time in lieu of the new batteries imported and sold, and shall send these only to the registered recyclers . I further undertake that I shall submit half-yearly returns as per item (iii) of rule 6 to the State Board and abide by their directions, if any.

Date:
Place:

Signature of the Importer

Copy to: The concerned Customs Authority

FORM –IV

[see rule 6 (iv)]

FORM FOR FILING RETURNS OF SALE OF LEAD ACID BATTERIES

[To be submitted by the Importer of new lead acid batteries by 30th June (for the period October-March and 31st December (for the period April-September) every year]

1.	Name and address of the importer	
2.	Name and address of the authorised person with telephone and fax number	
3.	Number of batteries imported during the period from October to March and April to September	
4.	Number of new Batteries sold during the period October-March/April-September in respect of the following categories Category : (i)Automative (a)four wheeler (b)two wheeler (ii)Industrial (a)UPS (b)Motive Power (c)Stand-by (iii)Others Number of batteries sold to (i) Dealers (ii) bulk consumers (iii) OEM (iv) Any other party for replacement	(i)No. of Batteries (ii) Approximate weight (in Metric Tonnes)
5.	Name and full address of the designated collection centre	
6	Total number of used batteries of different categories as at Sl.No.4 collected and sent to registered recyclers*	

* enclose a complete list .

Place----------

Date-------

Signature of the authorised person

IndiaCode

FORM –V

[see rule 7(iv)]

FORM FOR FILING RETURNS OF SALE OF NEW BATTERIES AND COLLECTION OF OLD BATTERIES

[To be submitted by dealers to the manufacturers by 31st May (for sale during October-March) and 30th November (for sale during April-September) every year]

1.	Name and address of the dealer	
2.	Name of the authorised person and full address with telephone and fax number	
3.	Number of new Batteries sold during the period October-March/April-September in respect of the following categories: Category: (i)Automative (a)four wheeler (b)two wheeler (ii)Industrial (a)UPS (b)Motive Power (c)Stand-by (iii)Others Number of batteries sold (i) As replacement of used batteries (ii) to bulk consumers (iii) to OEM (iv) to any other party	(i)No. of Batteries (ii) Approximate weight (in Metric Tonnes)
4.	Total number of used batteries of different categories as at Sl No.3 collected and sent to registered recyclers * / designated collection centres / manufacturers	

* enclose the list of recyclers to whom batteries have been sent for recyling.

Place----------

Date-------

Signature of the authorised person

IndiaCode

FORM – VI
((see rule 8 (i), 9(1) & 9(5))

FORM FOR APPLICATION FOR REGISTRATION OF FACILITIES POSSESSING ENVIRONMENTALLY SOUND MANAGEMENT PRACTICE FOR RECYCLING OF USED LEAD ACID BATTERIES

{To be submitted in triplicate}

1.	Name & Address of the unit			
2.	Contact person with designation, Tel./Fax			
3.	Date of Commissioning			
4.	No. of Workers (including contract labourers)			
5.	Consent Validity	a) Under Air Act, 1981; Valid up to - b) Under Water Act, 1974; Valid up to-		
6.	Validity of Authorisation under rule 5 of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989	Valid up to-		
7.	Installed capacity of production in (MTA)			
8.	Products Manufactured (Tones/year)during the last three years Name: (a) (b) (c)	Year-1	Year-2	Year-3
9.	Raw material consumed (Tones/year) Name: (a) (b) (c)	Year-1	Year-2	Year-3
10.	Manufacturing Process	Please attach manufacturing process flow diagram for each product (s)		
11.	Water Consumption	Industrial - m^3/day Domestic - m^3/day		
12	Water Cess paid up to			
13.	Waste water generation a) as per consent m^3/day b) actual m^3/day (average of last three months)	Industrial- Domestic-		
14.	Waste water treatment (please provide flow diagram of the treatment scheme)	Industrial- Domestic-		

IndiaCode

15.	Waste water discharge	Quantity m^3/day - Location- Analysis of treated waste water- pH, BOD, COD, SS, O&G, Any other (indicate the corresponding standards applicable)
16.	Air Pollution Control a. Please provide flow diagram for emission control system(s) installed for each process unit, utilities etc. b. Details of facilities provided for control of fugitive emission due to material handling, process, utilities etc. c. Fuel Consumption d. Stack emission monitoring results vis-à-vis the standards applicable e. Ambient air quality	 S.No Name of the fuel Quantity/day S.No. Stack attached to Emission g/Nm3 S.No. Location Results ug/m3
17.	Hazardous Waste Management a) Waste generation b) Details of collection, treatment c) Disposal (including point of final discharge) (i)Please provide details of the disposal facility (ii)Whether facilities provided are in compliance of the conditions issued by the SPCB in Authorisation (iii)Please attach analysis report of characterisation of hazardous waste generated (including leachate test if applicable)	S.No. Name of the Waste Process category Quantity/ y
18.	Details of waste proposed to be taken in auction or import, as the case may be , for use as raw material	1. Name - 2. Quantity required/- 3. Position in List A/List B as per Basel Convention (BC)- 4. Nature as per Annexure III of BC -
19.	Occupational safety and health aspects	Please provide details of facilities provided

IndiaCode

.14 ro 05/2014

20.	Remarks (i)Whether industry has provided adequate pollution control system/ equipment to meet the standards of emission/effluent. (ii)Whether industry is in compliance with conditions laid down in the Hazardous Waste Authorisation. (iii)Whether Hazardous Waste collection and Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) are operating satisfactorily. (iv)Whether conditions exist or likely to exists of the material being handled/ processed of posing immediate or delayed adverse impacts on the environment. (v)Whether conditions exist or is likely to exist of the material being handled/ processed by any means capable of yielding another material e.g., leachate which may possess eco-toxicity.	Yes/No If yes, please furnish details Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No
21.	(i)cost of the unit (ii)cost of pollution control equipment including environmental safeguard measures a) Capital: b) Recurring:	
22	Any other information: i) ii) iii)	

I hereby declare that the above statements / informations are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Date :

Place:

Signature
Name
Designation

IndiaCode

FORM –VII

[see rule 8 (iii)]

FORM FOR FILING RETURNS BY RECYCLERS OF USED BATTERIES

[To be submitted by recyclers by 30th June and 31st December of every year]

1	Name and address of the recycler		
2.	Name of the Authorised person and full address with telephone and fax number		
3.	Installed annual capacity to recycle used battery scrap (in MTA)		
4.	Total quantity of used battery scrap purchased from / sent for processing during the period from October- March / April-September	(i)	Quantity of used batteries sent by/ purchased from the manufacturers-
		(ii)	Quantity of used batteries purchased from the dealers-
		(iii)	Quantity of used batteries purchased from auctioneers-
		(iv)	Quantity of used batteries obtained from any other source-
5.	Quantity of lead recovered from the used battery scrap (in MTA)		
6.	Quantity of recycled lead sent back to	(i)	the manufacturer of batteries
		(ii)	other agencies *-

* enclose list of other agencies.

Place----------

Date-------

Signature of the authorised person

IndiaCode

FORM –VIII

[see rule 10 (2)(ii)]

FORM FOR FILING RETURNS FOR BULK CONSUMERS OF BATTERIES

[To be submitted by the bulk consumer to the State Board by 3oth June (for the period October-March) and 31st December (for the period April-September) every year]

1.	Name and address of the bulk consumer		
2.	Name of the Authorised person and full address with telephone and fax number		
3.	Number of new batteries of different categories purchased from the manufacturer/ importer /dealer or any other agency during October-March and April-September Category. (i)Automative (a)four wheeler (b)two wheeler (ii)Industrial (a)UPS (b)Motive Power (c)Stand-by (iii)Others	(i) No. of Batteries	(ii) Approximate weight (in Metric Tonnes)
4.	Number of used batteries of categories mentioned in Sl. No 3 and Tonnage of scrap sent to manufacturer/dealer/importer/registered recycler/or any other agency to whom the used batteries scrap was sent		

IndiaCode

Place----------

Date-------

Signature of the authorised person

* Enclose list of manufacture/dealer/importer/ registered recyclers/or any other agency to whom the used batteries scrap was sent.

FORM –IX

[see rule 11 (ii)]

FORM FOR FILING RETURNS BY AUCTIONEER OF USED BATTERIES

[To be submitted by the auctioneer to State Board by 30th June and 31st December of every year]

1.	Name and address of the auctioneer	
2.	Name of the Authorised person and full address with telephone and fax number	
3.	Number of used batteries and total Tonnage (of MT) available during the period from October-March and April-September	
4.	Sources of the used battery scrap	
5.	Number of used batteries and total Tonnage (of MT) auctioned during the period from October-March and April-September	
6.	Number of used batteries and total Tonnage (of MT) sent to the registered recyclers *	

IndiaCode

* enclose a list .

Place----------

Date-------

[F. No. 23-5/98-HSMD]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2001

IndiaCode